


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 1990/चैत्र 27, 1912
No. 158] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 1990/CHAITRA 27, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन खंड)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1990

सा. का. नि. 447(अ) :— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंध ऐसे यान को लागू नहीं होंगे जो एमएचएओएक्टोम-नेसलसापट-एफआरजी के

स्वामित्वाधीन हैं और जिसे मैसर्स वोल्टाज लिमिटेड, मुम्बई द्वारा सीएनसी मशीनों के निर्देशन के प्रयोजन के लिए भारत में अस्थायी उपयोग के लिए लाया गया है और जो निम्न वर्णन का है:--

सारणी

1- यान का वर्ग	अर्ध ट्रेलर ट्रेलर सहित मोटर ट्रेक्टर
मोटर ट्रेक्टर :	
(क) डायमलर बेंज	प्रकार 1635 एलएस
(ख) चैसिस संख्या	डब्ल्यू डी बी 64557315386957
ट्रेलर :	
(क) मेक	माइलनर
(ख) चैसिस सं.	टी पी 1222610 टी
(ग) संयोजन का लदान रहित भार	17,700 किलोग्राम
(घ) रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला सकल यान भार	28,000 किलोग्राम

2. छूट इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से छह मास को अत्रि तक विधिमान्य होगी जिसके दौरान यान का सीएनसी मशीनों के भारत में निरंतर प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. यह आदेश जारी किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[सं. आरटी - 11037/2/89 - टी. ए. जी]

बी. शंकरालिंगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 17th April, 1990

G.S.R. 447 (E).—In exercise of the power conferred by clause (n) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby specifies that the provisions of sub-section (1) of the said section shall apply to the vehicle owned by MAHO Aktiengesellschaft-FRG and brought for temporary use in India for the purpose of demonstration of CNC Machines by M/s Voltas Ltd., Bombay, and which is of the following description:-

TABLE

1. Class of vehicle	Semi Trailer Motor Tractor with Trailer
---------------------	--

Motor Tractor:

(a) Diamler Benz	Type 1635LS
(b) Chassis number	WDB 64557315986957

Trailer:

(a) Make	Mildner
(b) Chassis number	TP 1222610 T
(c) Unladen weight of combination.	17,700 Kg.
(d) Gross vehicle weight to be registered.	28,000 Kg.

2. The exemption is valid for a period of six months from the date of issuance of this notification during which the vehicle will be used for demonstration of CNC Machines in India.

3. This order shall come into force from the date of its issuance.

[No. RT-11037/2/89-TA G.]

V. SANKARALINGAM, Jt. Secy.